सूरतगढ़ फार्म में उत्पादित बीज

871. **श्री मनफूल सिंह चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरतगढ़ के यन्त्रीकृत फार्म में कितने बीज का वार्षिक उत्पादन हो रहा है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह बीज रियायती दरों पर समीपवर्ती किसानों को बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बंधी कारण क्या है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म में उत्पादित विभिन्न फसलों के बीजों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). तिलहनों को छोड़कर केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़ में उत्पादित सभी बीज राजस्थान राज्य बीज निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम को ऐसी दरों पर बेचे जाते हैं, जो इन निगमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन निगमों द्वारा ये बिज बिना राज सहायता के किसानों को बेचे जाते हैं। 1978-79 के दौरान (1979-80 के दौरान प्रयोग करने के लिए) फार्म द्वारा उत्पादित दिलहनों के कुल 42,700 क्विंटल बीजों में से 5320 क्विंटल बीज राजस्थान राज्य में किसानों में वितरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई 150 रुपए प्रति क्विंटल की राज सहायता पर राजस्थान सरकार को बेचे गए थे।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में उत्पादित बीज की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(उत्पादन क्विंटल में)

क्रम सं०	फसल	1976-77	1977-78	1978-79
1	धान	42,554	74,260	50,915
2	गेहूं	47,692	37,246	48 100
3	चना	25,344	25,122	42,700
4	अन्य	738	--	150
	योग . . .	1,16,328	1,36,628	1,41,865

सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म के लिये ट्रैक्टर किराये पर लेना

872. **श्री मनफूल सिंह चौधरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि कार्यों के लिये सूरतगढ़ यंत्रीकृत फार्म के लिये गत दो वर्षों में गैर-सरकारी ट्रैक्टर किराये पर लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) ट्रैक्टर किराये पर लेने पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) जी हां ।

(ख) फार्म में मशीनें उपलब्ध न होने के कारण, कुछ आवश्यक कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कुछ प्राइवेट ट्रैक्टरों को किराए पर लेना पड़ा।

(ग) संक्रियागत वर्ष 1978-79 (जुलाई-जून) के दौरान सूरतगढ़ फार्म में हैरो जलाने तथा बीज वपित्रण (सीड्डिलिंग) कार्यों के लिए प्राइवेट ट्रैक्टरों के किराए पर 5.73 लाख रु. की धनराशि खर्च की गई थी। संक्रियागत वर्ष 1979-80 (जुलाई-जून) के दौरान इस कार्य के लिए 2.92 लाख रु. की धनराशि का भुगतान किया गया था।

Allotment of land by D.D.A. to Cooperative Group Housing Societies in Delhi

873. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether D.D.A. has taken a decision to allot land to the registered Cooperative Group Housing Societies in Delhi;

(b) if so, the proposed sites for allotment of land and approximate time within which the land is expected to be allotted to these societies;

(c) if no decision has so far been taken, the reasons for delay and the stage at which the matter has reached; and

(d) whether DDA has also worked out the details of cost of land to be charged from the Group Housing Societies; if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The case for scrutiny of membership is with the Registrar of Cooperative Societies and hence no final decision has been taken about the cost to be charged.

D.D.A. Flats for Salaried Class

874. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the maximum amount of House Building Advance admissible to Central Government Employees is Rs. 75,000/- or 75 months pay, whichever is less;

(b) whether Government are also aware that the cost of flat being charged by D.D.A. at present for MIG and LIG flats is much more than the admissible limits and DDA flats are now beyond the reach of the salaried class of people;

(c) if so, whether Government propose to decrease the cost of flats so that people falling in fixed income groups can afford a flat of their category of entitlement; and

(d) if not, whether Government have any proposal under consideration to help the salaried class to get a house in Delhi?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) The maximum amount of House Building Advance admissible to the Central Government employees is 75 months basic pay or Rs. 70,000 or actual cost of the flat/construction of the house or the repaying capacity of the employee, whichever is the least.

(b) and (c). The DDA has intimatel that the cost of the flats released by it for various categories in March 1980, is as under:—

M.I.G. Rs. 64,600 to 1,66,700

L.I.G. Rs. 46,900 to 67,300

Janta Rs. 19,600 to 26,700